प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2010:CGHC:11740

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 113/1995

अपीलार्थी लव तेली

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 1421/1995

अपीलार्थी हिरालाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी - मध्य प्रदेश राज्य

निर्णय हेतु दिनांक 26.08.2010 को सूचीबध्द।

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

26.08.2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक 113/1995

अपीलार्थी लव तेली

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 1421/1995

अपीलार्थी हिरालाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी - मध्य प्रदेश राज्य

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोविंद राम मिरी एवं श्री एच. एस. पटेल उपस्थित हैं।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दाण्डिक अपीलें

निर्णय

(दिनांक 26.08.2010)

चूँकि ये दोनों दाण्डिक अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, जो विशेष न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 04/1994 में दिनांक 17.01.1995 को पारित किया गया था, अतः इन दोनों का निराकरण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जाता है।

2. उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(**g**) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में अधिनियम,1989) की धारा 3(1)(**xi**) के तहत दोषसिद्ध किया गया है। और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(**g**) के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹5000/- (पाँच हजार रुपये) के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, तथा अधिनियम की धारा 3(1)(**x**) के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000/- (एक हजार रुपये) के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही अर्थदण्ड न देने पर अतिरिक्त कारावास की शर्त भी लगाई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि लिखित रिपोर्ट दिनांक 10.01.1994 (प्रदर्श पी-12) के आधार पर, उसी दिन लगभग दोपहर के 1:15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13) पंजीकृत की गई थी, जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि दिनांक 08.01.1994 को लगभग शाम के

6:30 बजे, जब अभियोक्त्री – एक मूक और बधिर विवाहित महिला, जिसकी आयु लगभग 24 वर्ष थी, शौच के लिए गई थी, तब अभियुक्त/अपीलार्थी वहाँ आए और उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग स्थापित किए । अभियोक्त्री के अनुसार, पहले अभियुक्त/अपीलार्थी हिरालाल ने उसके साथ लैंगिक संभोग स्थापित किए और तत्पश्चात उक्त कृत्य अभियुक्त/अपीलार्थी लव तेली द्वारा दोहराया गया। यह अभिकथित है कि अभियोक्त्री की चीखों को सुनकर, उसका ससुर, शालिकराम (अ.सा.-2), वहाँ पहुँचा और उसे देखकर अभियुक्त/अपीलार्थी मौके से भाग गए। अन्वेषण पूरी होने के पश्चात्, दिनांक 22.01.1994 को अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया और तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.1994 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (**g**) और अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (**xi**) के तहत आरोप विरचित किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषी सिद्ध करने हेतु, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कुल 12 साक्षियों की परीक्षण कराई है। अभियुक्त/अपीलार्थियों के बयान भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने अधिरोपित गए आरोपों

को अस्वीकार किया और अपनी निर्दोषता तथा मामले में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया।

5. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोषसिद्ध किया और दंडादेश दिया।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियोक्त्री एक मूक और बधिर महिला है और उसका बयान विधि के अनुसार अभिलिखित नहीं किया गया है। उनका निवेदन है कि चूँकि अभियोक्त्री ने बयान देने से पूर्व शपथ नहीं ली थी, इसलिए उसका संपूर्ण बयान खारिज किए जाने योग्य है। उन्होने निवेदन किया कि अभियोक्त्री के ससुर, शालिक राम (अ.सा.-2), जो उसका करीबी रिश्तेदार है और शुरू से ही अभियोजन का हितबद्ध साक्षी रहा है, उसे व्याख्याकार नहीं बनाया जाना चाहिए था। उनका निवेदन है कि शालिक राम (अ.सा.-2) ही वह व्यक्ति है जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुँचा था और उसके बाद गाँव के पटेल घसिया प्रसाद (अ.सा.-8) के पास गया था; अतः, न्याय की दृष्टि से वर्तमान मामले में किसी तीसरे व्यक्ति को व्याख्याकार बनाया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाना चाहिए था। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, अभियोक्त्री के पति ने चुपचाप रहना पसंद किया और घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी, जो यह दर्शाता है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। उनका निवेदन है कि चूँकि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श.पी-12 किसी दस्तावेज़ लेखक द्वारा तैयार की गई थी, इसलिए यह संदेह पैदा होता है कि वह वास्तव में क्या कहना चाहती थी और उक्त लिखित रिपोर्ट में अंततः क्या लिखा गया था। उनका निवेदन है कि उस दस्तावेज़ लेखक का नाम भी प्रकट नहीं किया गया है और न ही उसे अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में परीक्षित किया गया है, और इसी आधार पर उक्त लिखित रिपोर्ट की सच्चाई संदेहास्पद हो जाती है। इसके अतिरिक्त, यह निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 48 घंटे से अधिक समय के बाद दर्ज कराई गई थी और इस विलंब को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष किसी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की पहचान स्थापित करने में विफल रहा है। उनका निवेदन है कि यह रिपोर्ट घसिया प्रसाद (अ.सा.-8) के कहने पर दर्ज कराई गई थी, जिसे शालिक राम (अ.सा.-2), द्वारिका बाई (अ.सा.-3) और बंशीधर (अ.सा.-4) ने स्वीकार किया है। उनके अनुसार, शालिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राम (अ.सा.-2) के बयान में, विशेषकर पैरा 9 में, महत्वपूर्ण विरोधाभास और त्रुटियाँ हैं। द्वारिका बाई (अ.सा.-3) के बयान, विशेषकर पैरा 10 में भी कई विरोधाभास और त्रुटियाँ है। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, शालिक राम (अ.सा.-2) ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह अभियोक्त्री के सभी संकेतों और हाव-भावों को नहीं समझ सका। उनका निवेदन है कि अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित करने का कष्ट नहीं किया और उसके द्वारा परीक्षित सभी साक्षी अभियोक्त्री के पारिवारिक सदस्य होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं, और केवल उनके बयानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था। उनका निवेदन है कि अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करती है, जबकि सामूहिक बलात्कार के मामले में, वह भी जब यह कठोर सतह पर किया गया हो, तो उसे चोटें अवश्य ही आई होंगी। उनका निवेदन है कि जिस समय घटना हुई थी, उस समय अंधेरा था, इसलिए उसके लिए अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की पहचान करना संभव नहीं था। उनका निवेदन है कि अमृतलाल (ब.सा.-1) ने अपने साक्ष्य के पैरा 1 में कहा है कि घटना की तारीख से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व घसिया प्रसाद (अ.सा.-8) और अभियुक्त/अपीलकर्ता लव तेली के बीच कोई विवाद था

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिसमें उसने लव तेली को पीटा भी था और ऐसा होने के कारण प्रस्तुत मामले में उसके झूठे फँसाए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के **अह सोई बनाम किंग एम्परर (ए.आई.आर 1926 कलकत्ता 922)** , पंजाब उच्च न्यायालय के **नज़र मोहम्मद बनाम राज्य (ए.आई.आर 1953 पंजाब 227)** और लाहौर उच्च न्यायालय के **रगज़ान छोडोप बनाम एम्परर (ए.आई.आर(35) 1948 लाहौर 97)** के निर्णयों पर अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियोक्त्री के ससुर को उसका व्याख्याकार नियुक्त करने से अभियुक्त/अपीलकर्ता के मामले में कोई अंतर नहीं आएगा। उनका कहना है कि अभियोक्त्री के ससुर शालिक राम (अ.सा.-2) ही सर्वोत्तम व्यक्ति हैं जो अभियोक्त्री के संकेतों और हाव-भावों को जान सकते थे, और उनका व्याख्याकार के रूप में नियोजन अभियुक्त/अपीलकर्ता के लिए कोई प्रतिकूलता उत्पन्न नहीं करेगा। उनका कहना है कि अभियोक्त्री की व्याख्याकार के माध्यम से हुई मुख्य परीक्षा अथवा प्रति-परीक्षा में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, हालाँकि यह विस्तार से किया गया था, और इसलिए अपीलीय चरण में

अभियुक्त/अपीलकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई बिंदु नहीं उठाया जा सकता है। उनका कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई कथित देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कि घटना की तारीख पर अभियोक्त्री का पति घर पर नहीं था और वह देर रात लौटा। ग्राम प्रथा के अनुसार, सबसे पहले यह मामला गाँव के पटेल घसिया प्रसाद (अ.सा-8) को सूचित किया गया था, जिसने साहनीदास (अ.सा-6) के माध्यम से अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को बुलाया था, और जब अभियुक्त/अपीलकर्ताओं का पता नहीं लग सका, तब अंततः रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनका कहना है कि यह ऐसा मामला है जहाँ अनुसूचित जाति समुदाय की एक बधिर एवं मूक महिला के साथ दो व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया है, और इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई 48 घंटे की देरी को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है। उनका कहना है कि लिखित रिपोर्ट दस्तावेज़ लेखक द्वारा तैयार की गई थी क्योंकि अभियोक्त्री बधिर और मूक थी, और इसलिए पुलिस अधिकारी अभियोक्त्री तथा शालिक राम (अ.सा-2) से रिपोर्ट हस्तलिखित करवाने के लिए पूर्णतः न्यायसंगत थे। उनका कहना है कि अभियोक्त्री, उसके ससुर शालिक राम (अ.सा-2) और उसके पति बंशीधर (अ.सा-4) साधारण ग्रामीण हैं, और इसलिए उन्होंने रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दस्तावेज़ लेखक की सहायता ली। उनका कहना है कि अभियोक्त्री (अ.सा-1), शालिक राम (अ.सा-2), द्वारिका बाई (अ.सा-3) और बंशीधर (अ.सा-4) के बयानों में, यदि कोई मामूली विरोधाभास और त्रुटियाँ हैं, तो उन्हें नज़र अंदाज़ किया जाना चाहिए। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की पहचान के संबंध में, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि शालिक राम (अ.सा-2) ने स्वयं घटनास्थल पर इन दोनों व्यक्तियों को देखा था, और उन्हें देखकर वे वहाँ से भागने लगे थे, और यह कि अभियोक्त्री ने स्वयं न्यायालय में उनकी पहचान की है। उनका कहना है कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के बयानों में, उन्होंने पुलिस द्वारा झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोक्त्री की चिकित्सा रिपोर्ट के संबंध में, राज्य के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह ऐसा मामला है जहाँ अभियोक्त्री को पूरी तरह से नग्न नहीं किया गया था, और यह घटना जनवरी के महीने में हुई थी—वह मौसम जब खेत सामान्यतः गीला रहता है, और इसलिए, भले ही अभियोक्त्री को कोई चोट न लगी हो, यह अभियोजन के मामले को असत्य सिद्ध नहीं करता है। उनका कहना है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श.पी-14 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि शुक्राणु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की लंगोट में और अभियोक्त्री की योनि स्लाइडों में मौजूद थे। उनका कहना है कि अभियोक्त्री के फटे हुए कपड़े पुलिस द्वारा प्रदर्श.पी-3 के माध्यम से जब्त किए गए थे। अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (**xi**) के तहत अपराध के संबंध में, यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श.पी-17 दाखिल किया गया था और अपीलकर्ताओं को भी यह जानकारी थी कि वह अनुसूचित जनजाति समुदाय की सदस्य है, और इसलिए अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने वाला आक्षेपित निर्णय विधि के अनुरूप है और इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियोक्त्री (अ.सा-1) ने व्याख्याकार शालिक राम (अ.सा-2) के माध्यम से कहा है कि वह दोनों अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को जानती थी। उसके अनुसार, घटना के दिन अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसे पकड़ा, उसके कपड़े ऊपर कर दिए और उसे ज़मीन पर गिराकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पहले, अभियुक्त/अपीलकर्ता हीरालाल ने यह अपराध किया और फिर अभियुक्त/अपीलकर्ता लव तेली ने भी यही किया। उसके अनुसार, यह घटना सूर्यास्त के समय हुई थी। उसने आगे कहा है कि जब वह शौच के लिए गई थी, तब अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसके साथ

बलात्कार किया। उसने कहा है कि बलात्कार के दौरान वह रो रही थी और उसकी चीखें सुनकर उसके ससुर शालिक राम वहाँ आ गए, और उन्हें देखकर अभियुक्त/अपीलकर्ता भाग गए। तब वह अपने ससुर के साथ पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। उसने कहा है कि घटना सर्दियों के मौसम में हुई थी और जिस समय घटना हुई, उस समय अंधेरा छा गया था। उसने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं दोनों को अपने हाथ में रखे कलश (लोटा) से मारा था। उसने कथन किया है कि जिस जगह अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसे गिराया था, वहाँ पत्थर बिखरे हुए थे, जिसके कारण उसके शरीर पर चोटें आईं। प्रति-परीक्षा में, इस साक्षी ने कहा है कि जब अभियुक्त लव तेली उसके साथ बलात्कार कर रहा था, तो उसने उसे उठने नहीं दिया, और जब उसे ज़मीन पर फेंका गया, तब खून नहीं बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस हो रहा था। उसने कहा है कि घटना की सूचना गाँव के पटेल घसिया प्रसाद (अ.सा-8) को दी गई थी, जिसने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को भी बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। शालिक राम (अ.सा-2) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि बधिर और मूक अभियोक्त्री उसकी बहू है, जो संकेतों और हाव-भाव से बातों को समझने और बताने में सक्षम है। उसने कहा है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घटना के दिन, अँधेरा होने के बाद अभियोक्त्री शौच के लिए गई थी और उसके लगभग आधे घंटे बाद, उसकी चीखें सुनकर वह उस दिशा में गया और पाया कि अभियोक्त्री रो रही थी तथा उसका ब्लाउज और साड़ी फट गए थे। उसने दोनों अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को अलग-अलग दिशाओं में भागते हुए भी देखा। उसके अनुसार, अभियोक्त्री को घर लाने के बाद, उसने अपनी सास को बताया कि दो व्यक्तियों—जिनमें से एक नाई और दूसरा बिजली मिस्त्री था—ने उसके साथ लैंगिक संभोग किये थे। इसके बाद, इस साक्षी ने गाँव के पटेल घसिया प्रसाद (अ.सा-8) को घटना की जानकारी दी, जिसने बदले में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। इस साक्षी के अनुसार, अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि पहले अपराध नाई ने और फिर बिजली मिस्त्री ने किया। इसके बाद, एक दस्तावेज़ लेखक के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करवाई गई और फिर पुलिस स्टेशन में दी गई। अभियोक्त्री की फटी हुई साड़ी और ब्लाउज पुलिस द्वारा जब्त किए गए और उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। वह कहता है कि अभियोक्त्री का बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और उस समय उसने व्याख्याकार के रूप में कार्य किया। उसके अनुसार, अभियोक्त्री ने उसे संकेतों और हाव-भाव के माध्यम से सूचित किया था कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसके साथ लैंगिक संभोग बनाए। प्रति-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षा में, इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब गाँव में कोई घटना होती थी, तो उसकी जानकारी पहले गाँव के पटेल घसिया राम (अ.सा-8) को दी जाती थी और फिर उसके निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती थी। उसने कहा है कि इस मामले में भी घटना की सूचना पहले घसिया राम को दी गई थी और फिर उसके निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस साक्षी ने कहा है कि अभियोक्त्री के शरीर से खून नहीं निकल रहा था, लेकिन वह दर्द की शिकायत कर रही थी। इस साक्षी के अनुसार, घटना के दूसरे दिन भी पुलिस को सूचना नहीं दी गई, क्योंकि उस दिन वह गाँव के पटेल के पास गया था, और तीसरे दिन दोपहर लगभग 1.30 बजे वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया था। इस साक्षी ने कहा है कि वह पहले पुलिस स्टेशन गया और पुलिस के लोगों के कहने पर लिखित में रिपोर्ट दी। प्रति-परीक्षा के पैरा 11 में, इस साक्षी ने कहा है कि दूसरे दिन वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन नहीं गया। उसके अनुसार, वह पहले गाँव के पटेल के पास गया और फिर तीसरे दिन वह सारंगढ़ कोर्ट गया, दस्तावेज़ लेखक से लिखित रिपोर्ट तैयार करवाई, लेकिन उसका नाम उसे ज्ञात नहीं था। इसके बाद उसने कहा है कि पहले वह पुलिस स्टेशन गया और फिर थाना प्रभारी के निर्देश पर उसने रिपोर्ट हाथ से लिखवाई। उसने कहा है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि रिपोर्ट दस्तावेज़ लेखक से तैयार करवाई गई थी, लेकिन उसका नाम उसे ज्ञात नहीं था। अपने साक्ष्य के पैरा 13 में उसने कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता लव साहू एक बिजली मिस्त्री है और जब उसने उसके घर में बिजली का मीटर लगाया था, तब अभियोक्त्री ने उसे देखा था, और जिसके आधार पर उसने उसे संकेतों और हाव-भाव के माध्यम से सूचित किया कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ लैंगिक संभोग स्थापित किए। पैरा 14 में उसने कथन किया है कि जब भी गाँव की महिलाएँ शाम को शौच के लिए जाती हैं, तो वे कुछ अन्य महिलाओं के साथ जाती हैं, और घटना के दिन भी अन्य महिलाएँ शौच के लिए गई थीं। अपने साक्ष्य के पैरा 16 में उसने कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तो अभियुक्त व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं थे और अभियोक्त्री अकेली रोती हुई पाई गई। अपने बयान के पैरा 18 में, पहले इस साक्षी ने कथन किया कि वह अभियोक्त्री के हर संकेत और हाव-भाव को नहीं समझता था, लेकिन तुरंत बाद उसने कहा कि वह उसके प्रत्येक संकेत और हाव-भाव को समझता था। उसने कथन किया है कि वह लैंगिक संभोग से संबंधित संकेतों और हाव-भाव को नहीं समझ पाया। द्वारिका बाई (अ.सा-3) ने कहा है कि अभियोक्त्री ने उसे संकेतों और हाव-भाव के माध्यम से सूचित किया था कि जब वह शौच के लिए गई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी, तब अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसे पकड़ा और जबरदस्ती लैंगिक संभोग स्थापित किए। उसने कथन किया है कि अभियोक्त्री ने उसे हाव-भाव के माध्यम से सूचित किया था कि अभियुक्त/अपीलकर्ता लव साहू एक बिजली मिस्त्री था और अभियुक्त/अपीलकर्ता हीरालाल एक नाई था। उसके अनुसार, अभियोक्त्री ने अभियुक्त/अपीलकर्ता लव साहू को तब देखा था जब वह उनके घर में बिजली का मीटर लगाने आया था। बंशीधर (अ.सा-4)—अभियोक्त्री के पति—ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अभियोक्त्री बधिर और मूक है तथा संकेतों और हाव-भाव से चीज़ों को व्यक्त करती है। उसने कथन किया है कि घटना के दिन जब वह रात में अपने घर आया, तो अभियोक्त्री रो रही थी, और कारण पूछे जाने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसके साथ बलात्कार किया है। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की पहचान का वर्णन करते हुए, अभियोक्त्री ने इस साक्षी को हाव-भाव के माध्यम से सूचित किया था कि एक अभियुक्त नाई और दूसरा बिजली मिस्त्री था। इस साक्षी के अनुसार, अभियोक्त्री का ब्लाउज और साड़ी फटे हुए थे, और फिर दूसरे दिन घटना की सूचना पहले गाँव के पटेल को दी गई और फिर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सहदेव प्रसाद (अ.सा-5) पटवारी है, जिसने मौक़े का नक़्शा तैयार किया था। साहनी दास (अ.सा-6) गाँव का कोटवार है, जिसने कहा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है कि घटना के दिन अभियोक्त्री के ससुर उसके पास आए थे और सूचित किया था कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया है। इस साक्षी द्वारा हाव-भाव से पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने भी उसे उसी तरह बताया कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसके साथ बलात्कार किया है। डॉ. अनिल कुमार तिर्की (अ.सा-7), जिसने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की चिकित्सकीय परीक्षण की थी, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वे यौन संबंध बनाने में सक्षम थे। घसिया प्रसाद (अ.सा-8) ने कहा है कि अभियोक्त्री के ससुर ने उसे सूचित किया था कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसकी बहू यानी अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया है। उसने कथन किया है कि इस तथ्य की पुष्टि के लिए उसने अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को बुलाने के लिए संदेश भेजा था, लेकिन वे नहीं आए। डॉ. श्रीमती जे. त्रिपाठी (अ.सा-10), जिसने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय परीक्षण की थी, ने कहा है कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं देखी गई और वह शारीरिक संबंध बनाने की अभ्यस्त थी। आर. बी. सिंह (अ.सा-11) अन्वेषण अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। एस. पी. साहिस (अ.सा-12) वह साक्षी है जिसने प्रदर्श.पी-17 प्रमाण पत्र दिया था, जो दर्शाता है कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति समुदाय से थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस न्यायालय के समक्ष निर्णय लिया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अभियोक्त्री (असा-1) का बयान, वर्तमान मामले में दुभाषिया शालिक राम (असा-2)—जो अभियोक्त्री का ससुर है—के माध्यम से विश्वास करने योग्य है या नहीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय **अह सोई बनाम किंग एम्परर (एआईआर 1926 कलकत्ता 922)** के मामले में यह निम्नलिखित प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:

"हमें यह कहते हुए खेद है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का यह प्रभाव पड़ा है कि अभियुक्त कुछ-न-कुछ हद तक दुभाषिए लुईस की दया पर निर्भर हो गया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो शुरू से ही बेतुकी थी और न्याय के प्राथमिक विचारों के विपरीत थी। एक ऐसा साक्षी जिसने पुलिस जाँच के दौरान सक्रिय भाग लिया हो, जिसने अभियोजन की ओर से समर्पित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में साक्ष्य दिया हो, और जो धारा 302 और 304 भारतीय दंड संहिता के तहत बहुत गंभीर अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अभियोजन की ओर से साक्ष्य देने के लिए तैयार और इच्छुक पाया गया हो, उसे इस मामले में दुभाषिया के रूप में कार्य करने के लिए चुना गया —यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे केवल कहने मात्र से ही हमारी सख्त निंदा सामने आती है। हमें विश्वास है कि ऐसी चीज़ फिर कभी नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, हमें अभियुक्त की दोषसिद्धि और उस पर दिए गए दंडादेश को अप्रासंगिक करना होगा और निर्देश देना होगा कि 24-परगना के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उसके विरुद्ध, अभियोजन द्वारा लाने की सलाह दिए जाने वाले आरोपों पर, विधि के अनुसार पुनः विचारण किया जाए। अभिलेख जल्द से जल्द वापस किया जाए।"

रग्ज़न छोडोप बनाम सम्राट ए.आई.आर. (35) 1948 लाहौर 97 के संबंध में इस मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है:

"(2) इस तथ्य के अतिरिक्त कि पंडित पारस नाथ को उनकी गवाही देने की अनुमति देकर और साथ ही याचिकाकर्ता के लिए उसकी व्याख्या करके, मजिस्ट्रेट ने 9th दिसंबर, 1946 के अपने ही आदेश की अनदेखी की, उन्होंने आपराधिक न्यायशास्त्र और प्रक्रिया के अंतर्निहित मौलिक सिद्धांतों को शून्य कर दिया। आपराधिक प्रक्रिया की संपूर्ण योजना, जहाँ तक यह वादों की सुनवाई से संबंधित है, इस कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले, उसके विरुद्ध साक्ष्य का परीक्षण उसकी उपस्थिति में की जानी चाहिए और उसे साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने, अपना पक्ष प्रस्तुत करने और अपने साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब कोई अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय की भाषा नहीं समझता है, तो यह निर्धारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया है कि उसकी सेवा में एक दुभाषिये की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वह जान सके कि साक्षी क्या कह रहे हैं और प्रतिपरीक्षण के लिए प्रश्न सुझाने की स्थिति में हो। वस्तुतः, दुभाषिया वह व्यक्ति होना चाहिए जो उस साक्षी के अतिरिक्त हो जिसकी गवाही की व्याख्या की जानी है, अन्यथा, दुभाषिया नियुक्त करने की प्रक्रिया एक प्रहसन मात्र होगी। विद्वान मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी की है कि कानून में ऐसी कोई बात नहीं थी जो पंडित पारस नाथ को स्वयं अपना दुभाषिया बनने से रोकती, जबकि वे दोनों भाषाएँ जानते थे, यानी जिस भाषा में उन्हें गवाही देनी थी और अभियुक्त की भाषा। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि पंडित पारस नाथ को स्वयं अपने साक्ष्य की व्याख्या करने की अनुमति देना अभियुक्त को पूरी तरह से उनकी दया पर छोड़ देना था, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती थी कि वह न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी कहेंगे, वह अभियुक्त को ईमानदारी से बताएंगे, और यदि अभियुक्त प्रतिपरीक्षण के माध्यम से उनसे कोई प्रश्न पूछता है, तो वह न्यायालय की भाषा में उन्हें ईमानदारी से प्रस्तुत करेंगे। अपने एक आदेश में मजिस्ट्रेट ने यह भी टिप्पणी की थी कि पंडित पारस नाथ का साक्ष्य औपचारिक था, लेकिन यह मुझे सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वह वह व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम सूचना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बाद में, पुलिस के घटनास्थल पर आने से पहले, उपायुक्त के आदेश पर प्रारंभिक अन्वेषण का संचालन किया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अभियुक्त की कथित न्यायेतर संस्वीकृति के संबंध में भी गवाही दी थी।"

नज़र मोहम्मद बनाम राज्य, ए.आई.आर. 1953 पंजाब 227, खंड 40 के संबंध में इस मामले में निम्नलिखित मत अभिनिर्धारित किया गया है:

"(5)...जहाँ परिवादी भूमि सीमा शुल्क विभाग है, वहाँ अभियुक्त के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना कदापि उचित नहीं है जो भूमि सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी से (जैसा कि अ.सा. 1) इतनी घनिष्ठता से जुड़ा हो। किसी को यह सोचना चाहिए था कि अमृतसर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो पश्तो और फ़ारसी से परिचित होंगे और जिन्हें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया जा सकता था। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए कि ऐसे मामलों में दुभाषिये या तो न्यायालय के अधिकारी हों या ऐसे व्यक्ति हों जो किसी भी प्रकार के दोष या पक्षपात से पूर्णतया मुक्त हों।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुम्भार मूसा अलीब बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. 1966 गुजरात 101, खंड 53 के संबंध में इस मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है:

"(1)...यह सत्य है कि कुछ स्थानों पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने संकेतों के साथ-साथ व्याख्याओं को भी अभिलिखित किया है, लेकिन कई अन्य प्रश्नों के उत्तर में साक्षी द्वारा किए गए संकेत अभिलिखित नहीं किए गए हैं, केवल व्याख्याएँ ही अभिलिखित की गई हैं। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 का सही अनुपालन नहीं है।

यह भी अपीलीय न्यायालय को यह जानने में सक्षम नहीं बनाता है कि संकेतों की व्याख्या सही है या नहीं।**"**

लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद बनाम लिंगीशेट्टी श्रीनू, 1997 Cr.L.J. 4003 के मामले में, यह निम्नानुसार धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(14) दोनों पक्षों के प्रतिस्पर्धी तर्कों की विवेचन करने के लिए, मैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 को यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है:

'एक गवाह जो बोलने में असमर्थ है, वह अपनी गवाही किसी भी अन्य तरीके से दे सकता है जिससे वह इसे बोधगम्य बना सके, जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा; लेकिन ऐसा लेखन और संकेत खुली न्यायालय में किए जाने चाहिए। इस प्रकार दी गई साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।'

साक्ष्य अधिनियम की इस धारा से, मैं पाता हूँ कि एक बधिर और मूक व्यक्ति एक सक्षम गवाह हो सकता है। इस धारा के अनुसार, एक गवाह

जो बोलने में असमर्थ है, वह अपनी गवाही किसी भी अन्य तरीके से दे सकता है जिससे वह ऐसी साक्ष्य को बोधगम्य बना सके। अन्य तरीके जिनसे कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोधगम्य बना सकता है, वे या तो लिखित शब्द द्वारा या संकेतों द्वारा होंगे। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि संकेतों या लेखन के माध्यम से विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति खुली न्यायालय में की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, अ.सा.- 4 ने संकेतों की मदद से न्यायालय के समक्ष गवाही दी। केरल उच्च न्यायालय ने **'काडुंगोथ अलावी बनाम केरल राज्य'**, **1982 Cr.L.J. 94,** में यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय को ऐसे गवाहों की साक्ष्य को समझने और विवेचन करने के लिए जो संकेतों की मदद से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे ऐसी साक्ष्य पर सुरक्षित रूप से अवलंब करने के लिए अनिवार्य रूप से किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। मैं उक्त निर्णय के अनुपात से पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसे सिद्धांतों का उद्देश्य यह है कि संकेतों को गलत समझने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाए, और इस प्रकार यह विवेक का नियम है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में ऐसे विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 282 भी आपराधिक न्यायालय को किसी भी साक्ष्य या बयान की व्याख्या करने के लिए एक दुभाषिए की सेवाएं लेने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में सक्षम बनाती है, और ऐसा दुभाषिया, जब आपराधिक न्यायालय द्वारा आवश्यक हो, तो ऐसी साक्ष्य या बयान की सही व्याख्या बताने के लिए बाध्य है। केवल कानून की इस स्थिति की विवेचन करते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय ने बधिरों के लिए सरकारी आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को शपथ दिलाकर इस गवाह के लिए एक दुभाषिए के रूप में नियुक्त किया। यह नहीं कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति बधिर और मूक छात्रों को शिक्षित कर रहा है, वह विशेषज्ञ नहीं है। दुभाषिए की मदद से अ.सा.4 से प्राप्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि न केवल अपराधों का किया जाना, बल्कि अपराधी की पहचान भी, जो न्यायालय के सामने अभियुक्त है, सिद्ध होती है। इसलिए, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि अ.सा.- 4 के इस साक्ष्य पर बिल्कुल भी अवलंब नहीं किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिलवरसाब अलीसाब जकाती बनाम कर्नाटक राज्य, **2005 Cr.L.J. 2687** के मामले में, यह निम्नानुसार पारित किया गया है:

"(7) यह अभिकथन किया गया है कि अ.सा.- 13 एक मूक गवाह है। अतः, इस न्यायालय पर यह कर्तव्य है कि वह जाँच करे कि क्या अ.सा. 13 की साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के तहत प्रदान किए गए अनुसार अभिलिखित की गई है। यदि हाँ, तो विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा

अभिलिखित ऐसी साक्ष्य पर कार्य किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 इस प्रकार है:

जहाँ कोई व्यक्ति बोलने में अक्षम है, वहाँ ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य खुली न्यायालय में किए गए संकेतों द्वारा अभिलिखित की जा सकती है और ऐसी साक्ष्य ग्राह्य है।'

शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 4 गवाहों, दुभाषियों और जूरी सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान करती है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गवाहों, दुभाषियों और जूरी सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान — (1) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किया जाएगा, अर्थात्:

(क) सभी गवाह, अर्थात् वे सभी व्यक्ति जिनकी विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने या प्राप्त करने के लिए प्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या व्यक्ति द्वारा या समक्ष परीक्षा की जा सकती है, या जिन्हें साक्ष्य देने के लिए अपेक्षित किया जा सकता है;

(ख) गवाहों से पूछे गए प्रश्नों और उनके द्वारा दी गई साक्ष्य के दुभाषिए; और

(ग) जूरी सदस्य।'

इसी प्रकार, शपथ अधिनियम की धारा 5 एक गवाह या दुभाषिए को शपथ के बजाय प्रतिज्ञान करने में सक्षम बनाती है। शपथ अधिनियम की धाराओं 4 और 5 को पढ़ने पर, दुभाषिए के साथ-साथ गवाह दोनों को न्यायालय द्वारा मूक गवाह की साक्ष्य अभिलिखित करने से पहले शपथ दिलाई जानी चाहिए। मूक गवाह की साक्ष्य अभिलिखित करते समय, न्यायालय को संकेतों के साथ-साथ दुभाषिए की व्याख्याएँ भी अभिलिखित करनी चाहिए और तभी वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य होती है। इसलिए, यह देखना होगा कि क्या विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त अनुसार मूक गवाह अ.सा.-13 की साक्ष्य अभिलिखित की है। न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड पर क्या साक्ष्य रखा गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दर्शन सिंह उर्फ दर्शन लाल बनाम राजस्थान राज्य, **2006 Cr.L.J. 3008** के मामले में, यह निम्नानुसार धारित किया गया है:

"(14) वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने उसकी बुद्धि, शपथ की समझ, और लेखन द्वारा संवाद करने की क्षमता जैसी प्रारंभिक बातों को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस तथ्य के बावजूद कि गवाह द्वारा स्वयं एक विशेषज्ञ की व्यवस्था करने के लिए

आवेदन दिया गया था, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके बजाय, उन्होंने अपने आप ही गवाह के हाव-भाव को समझने का प्रयास करते हुए बयान अभिलिखित करना शुरू कर दिया। यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके पिता अ.सा.-1 जसवंत सिंह ने उसका बयान अभिलिखित करने में किस हद तक सहायता की। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका बयान उनकी सहायता से अभिलिखित किया गया है, और केवल इसी आधार पर उनका बयान साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह विवादित नहीं है कि अ.सा.-1 जसवंत सिंह ने अन्वेषण के दौरान भाग लिया और उसी विचारण में एक गवाह के रूप में भी उपस्थित हुए। उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने कागज पर अपने पिता का टेलीफोन नंबर अंग्रेजी में लिखा था। यदि ऐसा है, तो उनसे लिखित में बयान देने के लिए कहा जा सकता था, अन्यथा किसी विशेषज्ञ की सहायता से बयान लिया जा सकता था। हमारा विचार है कि विद्वान न्यायाधीश ने एक बधिर और मूक गवाह का बयान अभिलिखित करने में अपेक्षित सावधानियाँ न बरतकर, उस बयान को अमान्य बना दिया। इस प्रकार, अ.सा.-16 श्रीमती गीता की गवाही पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, यदि उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में शालिकराम (अ.सा.2) को अभियोक्त्री (अ.सा.1) का दुभाषिया बनाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह कहीं भी न्यायोचित नहीं ठहराया गया है कि क्या उसके द्वारा किसी अन्य स्वतंत्र दुभाषिए की व्यवस्था करने का कोई प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त, दुभाषिए को शपथ भी नहीं दिलाई गई, जो इस तरह के मामलों में कानून की मूल आवश्यकता है, और ऐसा होने के कारण दुभाषिए की साक्ष्य का कानून की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इसके अलावा, शालिकराम (अ.सा.2) ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह अभियोक्त्री के प्रत्येक संकेत और हाव-भाव को, विशेष रूप से यौन संबंध के संबंध में, नहीं समझ पाए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को शालिकराम (अ.सा.2) की व्याख्या पर आधारित करने का अधिनस्थ न्यायालय का दृष्टिकोण, जो स्वयं अभियोक्त्री के प्रत्येक हाव-भाव को, विशेष रूप से यौन संबंध के संबंध में, समझने में सक्षम नहीं थे, अत्यधिक अविवेकी है। इससे भी अधिक, दुभाषिए की स्वयं अभियोजन पक्ष की ओर से (अ.सा.2) के रूप में परीक्षा की गई है और वह

अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों में से एक है। इसके अलावा, अभियोक्त्री के शरीर पर चोट की अनुपस्थिति, जिस पर दो व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया था, उसके संस्करण की सत्यता के संबंध में एक प्रबल संदेह उत्पन्न करती है। तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सिध्ददोष ठहराने और सजा सुनाने वाला आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उन पर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि वे पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए उनके जमानत-पत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
प्रीतिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ritu Sarna Gandhi